भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1549

(जिसका उत्तर 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

पीएसबीएस का कार्य मूल्यांकन

1549. श्री सैयद इम्तियाज जलीलः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक बोर्ड ब्यूरो के साथ परामर्श कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्य मूल्यांकन के लिए निष्पक्ष ढांचा विकसित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम से किस हद तक राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों की पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता में सुधार आने की संभावना है;

(ग) क्या हाल के दिनों में धोखाधड़ी के मद्देनजर सरकार का विशेषकर ऐसी धोखाधड़ियों, जहां बैंक के कर्मचारी संलिप्त होते हैं, का तुरंत पता लगाने के लिए बैंकों में इस रूपरेखा के माध्यम से एक तंत्र लाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निष्पक्ष ढांचे को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) और (ख) : बैंकों का वित्तीय कार्य निष्पादन और परिचालनात्मक दक्षता उनकी वार्षिक वित्तीय विवरणियों में निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित होती है। विद्यमान ढांचे के अनुसार, विभिन्न लागू होने वाले कानूनों के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) सहित सभी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी वार्षिक वित्तीय विवरणियां अपने संबंधित निदेशक मंडल से अनुमोदित कराये, उसे स्टॉक एक्सचेंजों को पारदर्शी रूप से प्रकट करें, उसकी एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को प्रस्तुत करें तथा उन्हें अपने शेयर धारकों के अनुमोदन तथा चर्चा के उपरांत अपनाने के लिये वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत करें। इसके एक भाग के रूप में, बैंक का बोर्ड और शेयरधारक बैंक के कार्यनिष्पादन पर चर्चा और समीक्षा करते हैं तथा इसके अतिरिक्त, बाजार और विनियामक भी कार्य निष्पादन को नोट करते हैं जो कि बैंकों को बाजार अनुशासन और विनियामकीय पर्यवेक्षण के अधीन करते हुये जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने का कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, बढ़ी हुई दक्षता तथा जवाबदेही हेतु सुदृढ़ व्यवस्थाओं के लिये पीएसबी में एक वस्तुपरक, पारदर्शी और सार्वजनिक रूप से सूचित 'बढ़ी हुई पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई)' सुधार संसूचक का उपयोग करते हुये एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सुधारों के कार्यान्वयन से संबंधित बैंक-वार कार्यनिष्पादन की निगरानी और आकलन (परिमाप) किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : सरकार ने पीएसबी को 'उच्च मूल्य वर्ग की बैंक धोखाधड़ियों की समय से पहचान, सूचना देने, जांच इत्यादि से संबंधित ढ़ांचा' जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि:

(2) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को 'बड़े मूल्य की बैंक धोखाधड़ी की समय पर पहचान करने, इसकी सूचना देने, जांच करने आदि के संबंध में रूपरेखा' जारी की है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं:

(i) अनुपयोज्य आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर 50 करोड़ रुपये से अधिक के सभी खातों की जांच बैंकों द्वारा संभावित धोखाधड़ी की दृष्टि से की जाए;
(ii) आरबीआई को धोखाधड़ी की सूचना देने के तुरंत बाद इरादतन चूक की जांच आरंभ की जाए; तथा
(iii) यदि कोई खाता एनपीए बन जाता है तो केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो से उधारकर्ता के संबंध में रिपोर्ट मांगी जाए।

इसके अतिरिक्त, धोखाधड़ियों की रोकथाम, पहचान और सूचित करने में सुधार करने के लिये कई अन्य उपाय भी किये गये हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा दर्ज धोखाधड़ी निगरानी विवरणियों के आधार पर आरबीआई द्वारा बैंकों के उपयोग हेतु पता लगाए जाने वाले एक ऑनलाइन केन्द्रीयकृत डाटा बेस के रूप में एक केन्द्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) स्थापित की गई है।
(ii) [illegible]
(iii) [illegible] आरबीआई और जांच एजेंसियों को इसकी सूचना तत्काल देने एवं कर्मचारियों की जवाबदेही निर्धारित करने की प्रक्रिया समय पर आरंभ करने के लिए आरबीआई ने ऋण धोखाधड़ी के संबंध में कार्रवाई करने, और रेड फ्लैग्ड खातों (आरएफए) से निपटने हेतु एक रूपरेखा जारी की है;
(iv) आरबीआई ने स्विफ्ट संदेश देने की प्रणाली में समयबद्ध तरीके से प्रतिभूति तथा परिचालन नियंत्रण को लागू करने के लिए फरवरी 2018 में सभी बैंकों को एक परिपत्र जारी किया है;
(v) आरबीआई ने तीसरे पक्ष की सेवाओं (जैसे विधिक सर्च रिपोर्ट, संपत्ति मूल्यांकनकर्ता, प्रतिवेदन आदि) में कमी, इन सेवाप्रदाताओं की सांठगांठ के विरुद्ध अप्रभावी कार्रवाई करने और धोखेबाजों की सूचना भारतीय बैंक संघ (आईबीए), जो ऐसे सेवाप्रदाताओं की चेतावनी सूची तैयार करता है, को देने के लिए बैंकों को अनुदेश दिया है; तथा
(vi) सरकार ने बढ़ी बैंक धोखाधड़ियों की जांच पड़ताल करने के लिए एक अंतर-एजेंसी समन्वय समिति बनाई है।

इसके अतिरिक्त, सभी पीएसबी में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), जिसे भारत सरकार द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता है, की अध्यक्षता में एक सुस्थापित सतर्कता तंत्र है। बैंकों के सीवीओ बैंक के कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं पर गहन निगरानी रखते हैं। आरबीआई ने विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत स्टाफ जवाबदेही की जांच करने संबंधी विभिन्न दिशानिर्देश जारी किये हैं। आंतरिक नियंत्रण तथा निरीक्षण/बैंकों में लेखापरीक्षा प्रणाली पर आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार बैंकों को सभी स्तरों पर, उचित समय पर अनियमितताओं, कदाचारों इत्यादि पर स्टाफ जवाबदेही निर्धारित करने के संबंध में परामर्श दिया गया है। इसके अलावा, पीएसबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीएसबी यथोचित प्रक्रिया के उपरांत दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध शास्ति लगाते हैं जिनमें सेवा से बर्खास्तगी/हटाया जाना/सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति इत्यादि शामिल हैं तथा पुलिस अथवा केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो में शिकायत दर्ज की जाती है।

*****